लोह-अयस्क: ओडिशा में 40% क्षमता निष्क्रिय; SC ने खनन-अधिकार स्थानांतरण राज्य-विवेक पर छोड़ा

प्रकाशित: 16 नवंबर 2026 · मेन्स · economy



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

2047 तक भारत की लोह-अयस्क मांग **772 मिलियन टन (MT)** पहुँचने का अनुमान है, लेकिन सबसे बड़े भंडार-धारक राज्य **ओडिशा** में खनिकों ने अपनी मौजूदा क्षमता का लगभग **40% उपयोग ही नहीं किया** है। मामला न्यायिक निगरानी में है - जनवरी में **ओडिशा हाईकोर्ट** और इसी माह **4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट** ने क्षमता-उपयोग को लेकर टिप्पणियाँ दीं। विनियमित क्षमता के बावजूद देश ने FY26 में **12.3 MT लोह-अयस्क आयात** पर **11,115 करोड़ रुपये** खर्च किए (खान मंत्रालय)।

आंकड़े: क्षमता बनाम उत्पादन

- **FY25:** 246 MTPA पर्यावरण-मंज़ूरी (EC) क्षमता में से केवल ~159 MTPA परिचालित (याचिकाकर्ता Citizens' Action Forum, भुवनेश्वर के आंकड़े)।
- **FY26 (BigMint, जून 2026):** ओडिशा में 278 MTPA EC क्षमता के मुकाबले 158 MT उत्पादन - उपयोग ~60%।
- **अन्य राज्य:** छत्तीसगढ़ हिस्सा 17.1% (उपयोग 62%), कर्नाटक 16.6% (उपयोग 80%); ओडिशा की हिस्सेदारी देश के घरेलू उत्पादन की 50% से अधिक।

- **गुणवत्ता-चिंता:** खाली पड़ी क्षमता बड़े हिस्से में **हेमेटाइट** - लोह-अयस्क की उच्चतम-ग्रेड किस्म - की है।
- **कारण (उद्योग):** वन-मंज़ूरी (forest clearance) प्रक्रियाएँ अक्सर तय 18 माह की अवधि से अधिक चलती हैं।

अदालतें क्या कह चुकी हैं

- **ओडिशा HC (जनवरी):** खनन-अधिकार अनिवार्य रूप से राज्य-स्वामित्व वाली **NMDC** को स्थानांतरित किए जाएँ - "खदानों का अनुकूल उपयोग" और "कोषागार पर बोझ समाप्त" करने के लिए; धीमे परिचालन से राज्य को औसतन **4,000 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व-क्षति**।
- **सुप्रीम कोर्ट (4 नवंबर):** खनिज-संसाधनों के अनुकूल उपयोग की ज़रूरत से सहमत, परंतु खनन-अधिकारों के स्थानांतरण का फैसला **राज्य सरकार के विवेक** पर छोड़ा - अनिवार्य नहीं किया।

विश्लेषण: 2047 लक्ष्य और आयात-निर्भरता

- **राष्ट्रीय इस्पात नीति/विज़न 2047:** क्षमता-विस्तार लक्ष्य के लिए कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति आवश्यक; निष्क्रिय EC-क्षमता लक्ष्य को जोखिम में डालती है।
- **आयात-विरोधाभास:** समृद्ध भंडार के बावजूद FY26 में 12.3 MT आयात (11,115 करोड़ रुपये) - घरेलू आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाएँ।
- **राजस्व और रोजगार:** राज्य की राजस्व-क्षति और खनन-आधारित अर्थव्यवस्था का अवरोध।

संबंधित लेख: इस्पात H1 FY27: खपत, मांग और विज़न 2047 का मसौदा नीति

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: भारत के लोह-अयस्क क्षेत्र के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
1. 2047 तक मांग 772 मिलियन टन पहुँचने का अनुमान है।
2. FY26 में ओडिशा देश के घरेलू उत्पादन का 50% से अधिक था।
3. हेमेटाइट लोह-अयस्क की निम्नतम-ग्रेड किस्म है।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▶ उत्तर और व्याख्या

प्रश्न 2: लोह-अयस्क क्षमता-उपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2026 आदेश की प्रमुख बात क्या थी?

(a) खनन-अधिकार NMDC को अनिवार्य स्थानांतरण

(b) अनुकूल उपयोग से सहमति, परंतु स्थानांतरण राज्य सरकार के विवेक पर

(c) सभी पर्यावरण-मंज़ूरियाँ रद्द

(d) लोह-अयस्क निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध

▶ उत्तर और व्याख्या

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "भारत की लोह-अयस्क समस्या भंडार की नहीं, परिचालन की है।" 2047 की मांग-पूर्वानुमान और न्यायिक हस्तक्षेप के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: भूमिका - 772 MT मांग-पूर्वानुमान; समस्या - 40% अनुपयोगी क्षमता, आंकड़े (246/159, 278/158); कारण - वन-मंज़ूरी देरी, EC और परिचालन की खाई; न्यायिक आयाम - HC बनाम SC दृष्टिकोण; प्रभाव - आयात-विरोधाभास (12.3 MT/11,115 करोड़), राजस्व-क्षति; उपाय - समयबद्ध मंज़ूरियाँ, निगरानी, NMDC विकल्प; निष्कर्ष।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: ओडिशा में लोह-अयस्क क्षमता का ~40% उपयोग नहीं हो रहा; 2047 मांग 772 MT, FY26 आयात 12.3 MT (11,115 करोड़ रुपये); SC ने स्थानांतरण राज्य-विवेक पर छोड़ा।

प्रश्न: ओडिशा के लोह-अयस्क क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है?

पर्यावरण-मंज़ूरी प्राप्त क्षमता का बड़ा हिस्सा परिचालित नहीं - FY26 में 278 MTPA EC क्षमता के मुकाबले 158 MT उत्पादन (~60% उपयोग); खाली क्षमता मुख्यतः उच्च-ग्रेड हेमेटाइट की है।

प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को क्या कहा?

खनिज-संसाधनों के अनुकूल उपयोग की ज़रूरत से सहमत हुआ, परंतु ओडिशा HC के "खनन-अधिकार अनिवार्य रूप से NMDC को" निर्देश के विपरीत स्थानांतरण का फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा।

प्रश्न: क्षमता-उपयोग में देरी का क्या कारण बताया जाता है?

उद्योग के अनुसार वन-मंज़ूरी प्रक्रियाएँ अक्सर तय 18 माह की अवधि से अधिक लंबी चलती हैं, जिससे खदानें समय पर परिचालित नहीं हो पातीं।

स्रोत

- द हिंदू: Iron ore capacity under-utilisation in major-producing states (14 नवंबर 2026) - BigMint, खान मंत्रालय और याचिकाकर्ता-आंकड़े इसी रिपोर्ट में उद्धृत